फर्दअहकाम
(नियम– 26)
अज अदालत सहायक कलक्टर सिवाना

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 अशोकपुरी पुत्र घेवरपुरी स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज वगैरह(3)		1 नरपतपुरी पुत्र घेवरपुरी स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज वगैरह (3) 4 राज.राज्य जरिये भूमिधरक तहसीलदार सिवाना 5 हल्का पटवारी थान माता हिंगलाज पटवार हल्का गुडानाल तहसील सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RTA

मु0नं0 127/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02..09.21	प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री जयप्रकाश रामेदव द्वारा विप्रार्थीगण नरपतपुरी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA Act का पेश किया। जिसे वाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण 1 ता 3 की बहिस्सा बराबर की खुदकाश्त भूमि ग्राम सरहद मौजा थानमाता हिंगलाज पटवार मण्डल गुडनाल में खेत खसरा नम्बर 499/44 व 501/49 रकबा क्रमशः 0.4290 व 1.0279 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी भूमि मे विप्रार्थीगण 1/3–1/3 के हिस्सेदार है। वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवाडा नही हो रखा है विप्रार्थीगण सरजोर किस्म के व्यक्ति है जो भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि हेतु बंटवाडा का वादपत्र न्यायालय श्री में पेश किया है। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक विरूद्ध पाने अस्थाई निशेधाज्ञा का उक्त प्रार्थना पत्र लाना आवश्यक होने से पेश किया गया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा का वादपत्र पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा जिससे न्यायहित में अंतरिम स्थगन आदेश जारी करना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सरहद मौजा थानमाता हिंगलाज पटवार मण्डल गुडनाल में खेत खसरा नम्बर 499/44 व 501/49 रकबा क्रमशः 0.4290 व 1.0279 हैक्टयर भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.10.2021 को पेश हो। (कुसुमलता चौहान) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर, सिवाना	
15.09.21	प्रार्थीगण के वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई। चूंकि मूल वाद के निस्तारण पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के लिए अदालत की भावना के विपरीत	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिया गया कि अत: उक्त प्रार्थना पत्र में अब कोई अनुतोष शेष नहीं रहने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो सहायक कलक्टर (SDO) सियाणा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:00 IST
Reason: SelfAttested